Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

Case No.-32/2026

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Misc Case No.-32/2026]
In
[Arbitration Case No.-65/2025]

Brajesh Chandra Mishra & Anr...Petitioner.
Versus
The State of Bihar & Others................................Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	08.4.2026 10.4.2026	**आदेश** उभय पक्ष उपस्थित। DLAO, किशनगंज की ओर से जवाब दाखिल है। उभय पक्ष के Final बहस को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। यह Misc. वाद इस न्यायालय द्वारा Arbitration वाद सं.-65/2025 में दिनांक-19.1.2026 को पारित आदेश में कतिपय Clarificaton के लिये दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। Petitioner के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस न्यायालय द्वारा Arbitration वाद सं.-65/2025 में दिनांक-19.1.2026 को पारित आदेश के अनुसार प्रश्नगत अर्जित भूमि (खेसरा-3386) को व्यवसायिक श्रेणी का निर्धारित करते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया गया, परन्तु उक्त आदेश में व्यवसायिक श्रेणी के न्यूनतम अधिसूचित M.V.R. के आधार पर मुआवजा निर्धारण करने का आदेश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को दिया गया। उनका कहना है कि प्रश्नगत अर्जित जमीन 3A अधिसूचना की तिथि को NH-31 पर अवस्थित था। जो प्रधान सड़क की श्रेणी में आता है। Petitioner के द्वारा तदनुसार प्रश्नगत अर्जित भूमि (खेसरा-3386) के लिये 'प्रधान सड़क व्यवसायिक श्रेणी' के दर के आधार पर मुआवजा निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-1095 दिनांक-28.3.2026 द्वारा दाखिल जवाब/प्रतिवेदन में यह अंकित है कि 'उक्त भूमि मौजा-सिंघाड़ी, थाना नं0-56 R.S खाता नं0-63, नगरपालिका सर्वे खाता नं0-454, खेसरा नं0-3386 वर्त्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 31 से सटा हुआ है। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 31 प्रश्नगत भूमि के भू-अर्जन के पूर्व से हीं अवस्थित है।' DLAO, किशनगंज के उपरोक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के आधार पर Arbitration Case No-65/2025 में दिनांक-19.1.2026 को पारित के अंतिम पारा में प्रश्नगत अर्जित भूमि के खेसरा सं0-3386 के लिए 'व्यवसायिक श्रेणी के तत्समय न्यूनतम अधिसूचित M.V.R. दर' के स्थान पर 'प्रधान सड़क व्यवसायिक श्रेणी के तत्समय अधिसूचित M.V.R. दर' को प्रतिस्थापित किया जाता है। तदनुसार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज(CALA) को प्रश्नगत अर्जित भूमि खेसरा-3386 हेतु प्रधान सड़क व्यवसायिक श्रेणी के लिए तत्समय (3A अधिसूचना तिथि) M.V.R. दर के अनुसार मुआवजा राशि का नियमानुसार भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। 10/4/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। -सह-Arbitrator आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया लेखापित एवं शुद्धित। 10/4/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। -सह-Arbitrator	